


२५/०५
२५

पत्रावली पेश। वकील जार्जी या जार्जी स्वयं उपस्थित
नहीं। बार-बार आज्ञा लगाते पर भी कोई
उपस्थित नहीं आया। अतः जार्जी का यह
अर्थक पत्र अफ़्फ़ पेंरनी-अफ़्फ़ हाजिरी में
इसी स्तर पर रजिस्ट्रार किया जाता है। पत्रावली
आदि तारीख लम्बील दौकल दाखिल इफ़्फ़ाल
है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।


(मनोज कुमार मीठ)

Rd/20

